

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त विभाग  
सं० 702- /XXVII(8)/वाणि० कर (वैट)/ 2007  
दिनांकः देहरादूनः 15 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:-

अतएव, अब, उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची II (ख) की कम संख्या 136 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी-

137. ईटें (ब्रिक्स)

(आलोक कुमार जैन)  
अ. प्रमुख सचिव, वित्त।  
20/11

सं० 702- /XXVII(8)/वाणिज्य कर(वैट)/2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से  
*Udemaal*  
(सी०एस०समवाल)  
अपर सचिव, वित्त,

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 702/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2007 dated November 15, 2007 for general information.

## Government of Uttarakhand

VITTA VIBHAG

NO. 702/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2007

Dehradun :: Dated :: November, 15, 2007

### Notification

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;


NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of Uttaranchal (Now Uttarakhand) Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P Act no. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendments in schedule II (B) of the Uttaranchal (Now Uttarakhand) Value Added Tax Act, 2005.

### Amendment

After the existing entry at serial no. 136 of Schedule II (B), the following entry shall be added, namely-

137. Bricks

By Order,

  
(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY FINANCE